



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082021-229305  
CG-DL-E-31082021-229305

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]  
No. 357]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2021/भाद्र 9, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2021/BHADRA 9, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

**सन्दर्भ : HQPUB012/1/2020-PUB-BIS (214).**—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में दिनांक 4 दिसम्बर 2020 को प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकर्ता है:

1. संदर्भ HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (103) दिनांक 19 नवम्बर 2021:

आई एस 17425 : 2020 की स्थापना, और आई एस 14151 (भाग-1) : 1999 और आई एस 14151 (भाग-2) : 2008 के रद्द होने की अनुसूची के क्रम संख्या (1), कालम (5) में – '10 अगस्त 2021' को '10 फ़रवरी 2022' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./221/2021-22]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS****(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 18th August, 2021

**Ref : HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (214).**—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the specified NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published on 4 December 2020 in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

Extraordinary vide Ref: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (103) dated 19 November 2020:

Sl No. 1, column (5) of the schedule establishing IS 17425 : 2020, and superseding IS 14151 (Part 1) : 1999 and IS 14151 (Part 2) : 2008, — Substitute '10 February 2022' for '10 August 2021'.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization-P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./221/2021-22]

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

**संदर्भ : HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (215).**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

**अनुसूची**

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 17017 (भाग 2/अनुभाग 6) : 2021 विद्युतीय वाहन चालकता चार्जिंग पद्धति भाग 2 प्लग, साकेट – निकास, वाहन कनेक्टर्स, ओर वाहन के इनलेट्स अनुभाग 6 डीसी पिन और संसर्ग की आयामीय अनुकूलता अपेक्षाएं – विद्युत वियोजन पर निर्भर सुरक्षा के लिए डीसी ईवी आपूर्ति उपस्कर हेतु प्रयुक्त अभीष्ट टयूब वाहन युग्मक	31 अगस्त 2021	लागू नहीं	लागू नहीं
2	आई एस 17017 (भाग 22/अनुभाग 1) : 2021 विद्युतीय वाहन चालकता चार्जिंग पद्धति भाग 22 ए सी चार्ज विन्यास अनुभाग 1 लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एसी चार्ज प्वाइंट	31 अगस्त 2021	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	आई एस 17017 (भाग 25) : 2021 विद्युतीय वाहन चालकता चार्जिंग पद्धति भाग 25 संरक्षण विद्युत पृथक्करण पर आधारित डी सी विद्युतीय वाहन प्रदाय उपकरण	31 अगस्त 2021	लागू नहीं	लागू नहीं

इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, कोच्चि, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड किया जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./221/2021-22]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

**Ref : HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (215).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

## SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 17017 (Part 2/Sec 6) : 2021 Plugs, Socket-Outlets, Vehicle Connectors and Vehicle Inlets – Conductive Charging of Electric Vehicles Part 2 Plugs, Socket – Outlets, Vehicle Connectors and Vehicle Inlets Section 6 Dimensional Compatibility Requirements for DC Pin and Contact – Tube Vehicle Couplers Intended to be used for DC EV Supply Equipment Where Protection Relies on Electrical Separation	31 Aug 2021	NA	NA

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be withdrawn, if any	Date of withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	IS 17017 (Part 22/Sec 1) : 2021 Electric Vehicle Conductive Charging Systems Part 22 AC Charging Configurations Section 1 AC Charge Point for Light Electric Vehicle	31 Aug 2021	NA	NA
3	IS 17017 (Part 25) : 2021 Electric Vehicle Conductive Charging System Part 25 DC EV Supply Equipment Where Protection Relies on Electrical Separation	31 Aug 2021	NA	NA

Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization–P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./221/2021-22]